सं. 48] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 6, 2005/चैत्र 16, 1927
No. 48] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 6, 2005/CHAITRA 16, 1927

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 31 मार्च, 2005

सं. टीएएमपी/16/2005-एनएमपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतद्द्वारा, कुद्रेमुख लौह अयस्क कम्पनी लिमिटेड (केआईओसीएल) द्वारा वर्ष 2003-04 के दौरान न्यू मेंगलूर पत्तन न्यास (एनएमपीटी) से निर्यातित लौह अयस्क/गुट्टिकाओं पर संलग्न आदेश के अनुसार बंदरगाह शुल्क प्रभार निर्धारित करता है।

मामला सं. टीएएमपी /16/2005 -एनएमपीटी

न्यू मेंगलूर पत्तन न्यास (एनएमपीटी) .... **आवेदक**

आदेश

(मार्च 2005 के 15 वें दिन पारित)

यह प्रकरण कुद्रेमुख लौह अयस्क कम्पनी (केआईओसीएल) द्वारा वर्ष 2003-04 के दौरान एनएमपीटी के माध्यम से निर्यातित लौह अयस्क / गुट्टिकाओं के लिए अंतिम बंदरगाह शुल्क प्रभार निर्धारित करने के लिए न्यू मेंगलूर पत्तन न्यास (एनएमपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है ।

2. एनएमपीटी ने कहा है कि केआईओसीएल द्वारा एनएमपीटी के माध्यम से निर्यातित लौह अयस्क के लिएबंदरगाह शुल्क दर की गणना संबंधित वर्ष के दौरान हुए वास्तविक व्यय के संदर्भ से की गई है । केआईओसीएल अयस्क के मामले मेंबंदरगाह शुल्क दरें निर्धारित करने की पद्धति सचिव (भूतल परिवहन मंत्रालय) और सचिव (इस्पात) के बीच दिनांक 27 मई 1992 को हुई अंतर सचिवीय बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार है । उस बैटक में यह निर्णय लिया गया था कि केआईओसीएल के लिए बंदरगाह शुल्क दर नीचे दिए गए विभिन्न घटकों पर हुए वास्तविक व्यय के आधार पर प्रतिवर्ष निर्धारित की जानी चाहिए ।

(i) यातायात विभाग के प्रचालन व्यय का हिस्सा ।

(ii) प्रहस्तित यातायात के अनुपालन में निकर्षण व्यय ।

(iii) मूल्यह्रास ।

(iv) प्रबंधन और प्रशासनिक उपरिव्ययों का हिस्सा ।

(v) पूंजी पर ब्याज ।

(vi) पूंजी पर 6% की दर से प्रतिलाभ ।

3. एनएमपीटी ने कहा है कि वर्ष 2003-04 के लिए बंदरगाह शुल्क दर, तत्संबंधी द्विपक्षीय अनुबंधों के अनुसार एमआरपीएल, केआईओसीएल और एनएमपीटी के बीच व्यय के विशेष तत्वों की हिस्सेदारी पर विचार करके तय की गई है । वर्ष 2003-04 के लिए अंतिम दर वास्तविक व्ययों के आधार पर तय की गई है और रु. 30.53 प्रति मी.ट. निर्धारित की गई है ।

4. एनएमपीटी ने यह भी सूचित किया है कि केआईओसीएल द्वारा अभिलेखों के सत्यापन के पश्चात बंदरगाह शुल्क की गणना की जाँच की गई है और लिखित में दर की पुष्टि की गई है ।

5. केआईओसीएल द्वारा एनएमपीटी के माध्यम से निर्यात किए गए लौह अयस्क पर वर्ष 2003-04 के लिए रु. 30.53 प्रति मी.ट. की दर निर्धारित करने हेतु एनएमपीटी का प्रस्ताव दरों के पूर्वव्यापी अनुमोदन का मामला है । यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि विधि मंत्रालय पहले ही राय दे चुका है कि यह प्राधिकरण पूर्वव्यापी प्रभाव से प्रशुल्क निर्धारित कर सकता है । इसके अलावा, सहमत दर पर पहुँचने के लिए पत्तन और उपयोगकर्ता के बीच कोई मतभेद नहीं है । यह प्राधिकरण केआईओसीएल द्वारा एनएमपीटी के माध्यम से निर्यातित लौह अयस्क केबारे में वर्ष 1995 -96, 1996-97, 1997-98 -1998-99, 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002 और 2002-03 के लिए इसी प्रकार से पहले बंदरगाह शुल्क दर निर्धारित कर चुका है । कुद्रेमुख लौह अयस्क पर वर्ष 2002-2003 के लिए बंदरगाह शुल्क की अनुमोदित दर रू. 29.74 प्रति मी.टन थी ।

6. चूंकि वर्तमान पद्धति पिछले 10 वर्षों से भी अधिक समय से प्रचलन में है और उस पर पारस्परिक सहमत व्यवस्था है, इसलिए यह प्राधिकरण इसे आगे बनाये रखने की अनुमति देता है ।

7. तद्नुसार, समग्र विचार-विमर्श के आधार पर, यह प्राधिकरण केआईओसीएल द्वारा वर्ष 2003-04 के दौरान न्यू मेंगलूर पत्तन से निर्यातित लौह अयस्क / गुटिकाओं के लिए बंदरगाह शुल्क दर रु. 30.53 प्रति मी.ट. हेतु एनएमपीटी का प्रस्ताव अनुमोदित करता है ।

अ० ल० बोंगिरवार, अध्यक्ष

[विज्ञापन/III/IV/143/05-असा०]